कार्यालय – जनपद न्यायाधीश, बांदा।

ठेका की नीलामी की सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण का सूचित किया जाता है कि निम्नांकित शेष दुकानों की वित्तीय वर्ष 2021–2022 (दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022) की अवधि हेतु नीलामी बोली, पृथक –पृथक नजारत, जिला जजी, बांदा में दिनांक 25.03..2021 को सांय 4.00 बजे से निम्नानुसार होंगीः–

क्रमांक	दुकान का प्रकार (जजी परिसर)	जमानत धनराशि	बोली का समय	न्यूनतम मूल्य किराया
1	कैण्टीन (मुख्य न्यायालय भवन)	रू0 10000/–	सायं 4.00 बजे से	83000.00
2	कैण्टीन (बहुखण्डीय न्यायालय भवन)	रू0 30000/–	सायं 4.00 बजे से	351000.00
3	क्विक कैमरा	रू0 5000/–	सायं 4.00 बजे से	90000.00

1. बोली बोलने वाले को बोली से पूर्व उपरोक्तानुसार पृथक–पृथक नकद जमानत धनराशि जमा करनी होगी, जो बोली समाप्त होने के पश्चात स्वीकृत बोली के अतिरिक्त, शेष बोली बोलने वालों को लौटा दी जायेगी।
2. बोली स्वीकृत होने की दशा में , स्वीकृत बोली की 1/4 राशि उसी समय नकद जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि तय किस्तों में देय होगी। संन्दर्भित बोली बोलने वाले व्यक्ति/संस्था को ठेका प्राप्त करने के लिये निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र दो दिन के अन्दर निष्पादित करना होगा।
3. बोली बोलने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड ऑर पैन कार्ड,नवीनतम आय कर रिटर्न लाना अनिवार्य है।
4. बोली बोलने वाला व्यक्ति बकायेदार व काली सूची के अर्न्तगत न आता हो।
5. जल एवं विद्युत व्यवस्था , ठेकेदार को स्वयं करनी होगी।
6. **खाद्य सामग्री की बिक्री विभागीय कमेटी द्वारा निर्धारित मात्रा व दरों पर ही करना अनिवार्य होगी।**
7. कैण्टीन व न्यायालय परिसर में पान, बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा तथा पान मसाला आदि की बिक्री **पूर्णतः वर्जित है।**
7. बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने व नीलामी की तिथि स्थगित करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा । नीलामी से सम्बन्धित अन्य जानकारी केन्द्रीय नाजिर जिला जजी, बांदा से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक :–

अध्यक्ष 15/3/21

नीलामी / बोली समिति/

विशेष न्यायाधीश,एस0सी0एस0टी0 बाँदा।